आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर 1998

का.आ.992(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :—

1.	मुख्य सचिव, अन्डमान और निकोबार प्रशासन, अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर।	अध्यक्ष
2.	श्री ड्वल्यू बी. थम्बूदुरई, मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अन्डमान लक्षद्वीप हार्बर संकर्म, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, पोर्टब्लेयर।	सदस्य
3.	सचिव पर्यावरण विभाग, अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर।	सदस्य
4.	निदेशक, मत्स्य उद्योग विभाग, पोर्टब्लेयर।	सदस्य
5.	निदेशक, केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर।	सदस्य
6.	डा. पी. एस. एन. राव, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, पोर्टब्लेयर।	सदस्य
7.	वन संरक्षक, अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर।	सदस्य-सचिव

II प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों और अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना (सी.जैड. एम. पी.) में वर्गीकरण के परिवर्तन उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों ;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को निदेशित करना :

परन्तु यह कि पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन ज़ोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन अपक्षय के लिए अतिसुमेय क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय ज़ोन प्रबन्ध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के अनुमोदित तटीय ज़ोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यावेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण का मुख्यालय पोर्टब्लेयर में स्थित होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टत: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आई.ए.-III.]

के. रौय पौल, अपर सचिव